

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 16.01.2023

छिनैती के आरोप में वांछित 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

कल दिनांक 15.01.2023 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि खिचड़ी चढ़ाने के दौरान गर्भ गृह में अज्ञात महिला द्वारा उनके गले से सोन की चेन छीन लिया गया। जिसके आधार पर थाना गोरखनाथ पर मु0अ0सं0 24/2023 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचक उ0नि0 राकेश कुमार मय हमराहियान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की सुरागरसी पतारसी हेतु क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की सूचना पर घटना में सम्मिलित तीन महिलाओं 1. पूजा उर्फ रीता पत्नी मेघश्याम निवासी नगला थाना बल्लभगढ़ शहर जनपद फरीदाबाद हरियाणा 2. रश्मि पुत्री श्याम उर्फ पप्पू निवासी नगला थाना बल्लभगढ़ शहर जनपद फरीदाबाद हरियाणा 3. रीना पत्नी कुलदीप निवासी सुल्तानपुर झील थाना फारुखनगर जनपद गुड़गांव हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

1. पूजा उर्फ रीता पत्नी मेघश्याम निवासी नगला थाना बल्लभगढ़ शहर जनपद फरीदाबाद हरियाणा
2. रश्मि पुत्री श्याम उर्फ पप्पू निवासी नगला थाना बल्लभगढ़ शहर जनपद फरीदाबाद हरियाणा
3. रीना पत्नी कुलदीप निवासी सुल्तानपुर झील थाना फारुखनगर जनपद गुड़गांव हरियाणा

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 024/2023 धारा 392 भा0द0वि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी-

1. उ0नि0 राकेश कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
2. हे0का0 मुख्तार प्रसाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. का0 अमन कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. म0का0 स्वाती सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. म0का0 रेशनी पाण्डेय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर